संख्या-807/2026/670/22-2-2025-17(1021)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद उपाध्याय पुत्र स्व0 अवधेश उपाध्याय, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-5889/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-04.02.2025, दिनांक 13.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद उपाध्याय पुत्र स्व0 अवधेश उपाध्याय, जो जिगनी, थाना-मनियार, जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी द्वारा अपनी पत्नी से बार-बार रूपये की मांग की जा रही थी। पत्नी द्वारा अपने पिता से रूपये मांग कर दिया करती थी। दिनांक 09.05.2006 को अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी से रूपये मांग की गयी, न देने पर अपनी पत्नी, बच्चे निखिल चन्द, कु० व्यूटि, नवीन चन्द्र तथा बुच्ची को आग के हवाले कर दिया, जिसे पाँचों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-285/2006, भा0द0वि0 की धारा-302, 201 में मा० न्यायालय, मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बलिया के दण्डादेश दिनांक 18.10.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 21 दिन एवं सपरिहार 23 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त की गयी। पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा अपनी आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध कारित किये जाने की संभावना होने, पुनः अपराध कारित करने का अवसर होने, बन्दी को रिहा किये जाने पर बदले की भावना से गवाहों की हत्या किये जाने की प्रबल संभावना के कारण जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी की परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई होने पर बिगड़ सकती है, के दृष्टिगत बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी विनोद उपाध्याय पुत्र स्व० अवधेश उपाध्याय की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक बन्दी की 58 वर्ष, 25 दिन की आयु एवं बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (अपनी पत्नी व 04 बच्चों की हत्या), स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

बलिया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद उपाध्याय (बन्दी संख्या-117/2012) पुत्र स्व0 अवधेश उपाध्याय, निवासी जनपद-बलिया की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-807/2026/670(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।